(197)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0–म0नि0–XIV–विविध / 226 / 2016–2017 / 1065 / मत्स्य / राँची, दिनांक 24.09.2021

संकल्प

विषय : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–म0 नि0–1575, दिनांक 09–11–2017 की कंडिका –3 में आंशिक परिमार्जन यथा "किसी परियोजना विशेष के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों के अधीन जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के बड़े एवं मध्यम जलाशयों का एक प्रतिशत जलक्षेत्र की अधिकतम 10 वर्षों के लिए बन्दोबस्ती राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड / झारखण्ड राज्य सहकारी मत्स्य संघ लि0 (झास्कोफिश) के साथ करने की स्वीकृति" का नया अंश जोड़ने की स्वीकृति के संबंध में।

भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण देश में मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास हेतु मात्स्यिकी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय हैदराबाद है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के द्वारा झारखण्ड राज्य को लगातार विभिन्न योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त होती रही है जिससे राज्य के मत्स्य कृषक लाभान्वित हुए हैं तथा राज्य के मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई है।

2. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के द्वारा "जलाशयों में समेकित केज कल्चर परियोजना" की शुरूआत की गई है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के पत्र सं0 201 / NFDB/PF/DPR/2017-18 (Inland Cage)/ 1818 दिनांक 16.01.2018 द्वारा इस योजना का पत्र एवं परियोजना प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। इस परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के द्वारा स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति / स्वयं सहायता समूह की सहमति की स्थिति में निजी मत्स्य पालकों / एजेंसी / कंपनी को केज कल्चर परियोजना का लाभुक बनाया जा सकता है। जलाशयों में केज कल्चर के अतिरिक्त उस क्षेत्र में सहायक आधारभूत संरचनाएँ यथा हैचरी, मत्स्य बीज पालन इकाई, फीड मिल तथा कोल्ड चेन की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जायेंगी। इस परियोजना की अवधि दस वर्ष की होगी। **(अनुलग्नक–01)।**

3. दिनांक 17.10.2017 को मंत्रिपरिषद के सम्पन्न बैठक में मद संख्या–03 के रूप में स्वीकृति के उपरान्त कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) से संकल्प सं0 1575 दिनांक 09.11.2017 निर्गत है जिसमें उपर्युक्त कंडिका–2 का लाभ राज्य को दिलाने हेतु परिमार्जन आवश्यक है। **(अनुलग्नक–02)।**

(196)

4. संकल्प सं0 1575 दिनांक 09.11.2017 की कंडिका–03 निम्न रूप में पठित है–

" स्थानीय विस्थापितों को मछली पालन से जोड़ने तथा उनके आर्थिक उन्नयन के लिए जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन सभी जलाशयों/जलकरों की नियत टोकन राशि मो0 100/–रू0 प्रति हे0 जलक्षेत्र वार्षिक सुरक्षित जमा पर, स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा विस्थापितों के SHG के साथ बन्दोबस्ती की जाए।"

5. यथा उपर्युक्त कंडिका– 04 में अंकित स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा विस्थापितों के SHG के अतिरिक्त नया अंश यथा "किसी परियोजना विशेष के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों के अधीन जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के बड़े एवं मध्यम जलाशयों का एक प्रतिशत जलक्षेत्र की अधिकतम 10 वर्षों के लिए बन्दोबस्ती राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड/ झारखण्ड राज्य सहकारी मत्स्य संघ लि0 (झास्कोफिश) के साथ करने की स्वीकृति" जोड़ते हुए परिमार्जन किया जाता है।

6. संकल्प संख्या–1575 दिनांक 09.11.2017 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

7. विभागीय संलेख ज्ञापांक–330 दिनांक–22.03.2021 पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक–04.06.2021 की बैठक में मद संख्या–04 के रूप में स्वीकृति दी गयी है।

8. यह संकल्प तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभागों को भेजी जाय तथा झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1065 मत्स्य/ राँची, दिनांक 24.09.2021

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/ राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ योजना–सह–वित्त (सांस्थिक वित विभाग सहित)/वाणिज्य कर विभाग/ उर्जा विभाग/ जलसंसाधन विभाग/विधि (न्याय) विभाग/श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में अपने विभाग से आवश्यकता अनुसार संबंधित अधिसूचना निर्गत करने की कृपा करना चाहेंगे।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1065- मत्स्य/ राँची, दिनांक 24.09.2021

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1065- मत्स्य/ राँची, दिनांक 24.09.2021

प्रतिलिपि : संयोजक, एस0एल0बी0सी0, झारखण्ड, राँची/ मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय नाबार्ड कार्यालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव

मत्स्य निदेशालय
झारखण्ड, राँची।

सं0सं0–म0नि0–XIV–विविध/226/2016–17/1395/मत्स्य/राँची, दिनांक 01.10.2021

प्रतिलिपि– उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/10/21
निदेशक मत्स्य
झारखण्ड,राँची।

सं0सं0–म0नि0–XIV–विविध/226/2016–2017/1395/मत्स्य/राँची, दिनांक 01.10.2021

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य सहकारी मत्स्य संघ लि0 (झास्कोफिश), राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/10/21
निदेशक मत्स्य

सं0सं0–म0नि0–XIV–विविध/226/2016–2017/1395/मत्स्य/राँची, दिनांक 01.10.2021

स्पीड पोस्ट प्रतिलिपि– मुख्य कार्यकारी, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, पिलर न0– 235, पी0वी0एन0आर0 एक्सप्रेस, मत्स्य बिल्डिंग, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद, पिन– 500052, आन्ध्र प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/10/21
निदेशक मत्स्य

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं०सं०–म०नि०–XIV–विविध / 226 / 2016–17 / 1575 / मत्स्य / राँची, दिनांक 09-11-17

"संकल्प"

विषय : **स्थानीय विस्थापितों को मछली पालन से जोड़ने तथा उनके आर्थिक उन्नयन के लिए जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन सभी जलाशयों / जलकरों की नियत टोकन राशि मो0 100 /– रू0 प्रति हेक्टेयर जलक्षेत्र वार्षिक सुरक्षित जमा पर, स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा विस्थापितों के S.H.G. के साथ बन्दोबस्ती के संबंध में।**

झारखण्ड राज्य में विविध प्रयोजनार्थ जलाशयों का निर्माण कराया गया है, जिनका सकल जलक्षेत्र लगभग 1,15,000 हे0 है। राज्य के अधिकांश तालाबों की प्रकृति मौसमी है, अतः मत्स्य उत्पादन का क्षैतिज एवं उर्ध्व विस्तार हेतु जलाशयों का बहु प्रकार उपयोग मत्स्य उत्पादन हेतु आवश्यक है। जलाशयों के विस्थापितों को मछली पालन से जोड़कर स्व–रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सामाजिक मात्स्यिकी विस्तारित करने की आवश्यकता है। आगामी वर्षों में राज्य के वार्षिक मत्स्य उत्पादन को दो लाख मिट्रिक टन ले जाने एवं निर्यातक राज्य के रूप में विकसित करने हेतु जलाशयों का संगठित मात्स्यिकी प्रबंधन तकनीकी रूप से स्थानीय सहभागिता के आधार पर उच्च कोटि का किये जाने की योजना है।

2. जलाशयों की बन्दोबस्ती खुले डाक से व्यक्ति–विशेष के साथ करने से स्थानीय विस्थापितों को मत्स्य शिकारमाही एवं जीविकोपार्जन में कठिनाई हो रही है। अन्य स्थानीय ग्रामीणों / विस्थापितों द्वारा जलाशयों में मछली पकड़ने एवं स्वतंत्र रूप से बिकी करने से बन्दोबस्तधारी मत्स्यजीवी सहयोग समिति को, विस्थापित सदस्यों के द्वारा भी आर्थिक सहयोग नहीं दिया जा रहा है। फलस्वरूप समितियाँ सरकारी राजस्व की बकायेदार हो रही हैं।

3. **उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्थानीय विस्थापितों को मछली पालन से जोड़ने तथा उनके आर्थिक उन्नयन के लिए जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन सभी जलाशयों / जलकरों की नियत टोकन राशि मो0 100 /– रू0 प्रति हेक्टेयर जलक्षेत्र वार्षिक सुरक्षित जमा पर, स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा विस्थापितों के S.H.G. के साथ बन्दोबस्ती की जाए।**

4. इस संकल्प के निर्गत होने से मत्स्य निदेशालय द्वारा जलाशय मत्स्य के विकास एवं जलाशयों के प्रबंधन हेतु निम्न कार्रवाई की जा सकेगी–

(क) जलाशयों की बन्दोबस्ती नियत टोकन राशि 100 /–रू0 प्रति हेक्टेयर जलक्षेत्र वार्षिक सुरक्षित जमा पर मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा आवश्यकतानुसार स्थानीय विस्थापितों के S.H.G. के साथ की जाएगी। बन्दोबस्ती का कार्य संबन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ख) बन्दोबस्ती की अवधि दस वर्षो के लिए होगी एवं प्रथम दो वर्ष के पश्चात प्रति वर्ष इससे प्राप्त आय एवं मत्स्य उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु उपायों की समीक्षा निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची द्वारा की जायेगी तथा आवश्यकता अनुसार जलाशयों / जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु परिपत्र / आदेश निर्गत किए जाएँगे।

(ग) जलाशयों में सघन मात्स्यिकी के विकास हेतु करीब 300 करोड़ मत्स्य बीज की आवश्यकता है। जिनके लिए प्रखण्ड स्तर पर मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना भी आवश्यक है। जल संसाधन विभाग के बड़े तालाबों के पास मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना की जा सकती है और स्थानीय युवकों के समूह/समिति के साथ इनकी 10 वर्षीय दीर्घकालीन बन्दोबस्ती करते हुए इन्हें वैज्ञानिक मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाया जाएगा। इससे युवाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध होगा एवं प्रखंड स्तर पर मत्स्य स्पॉन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

(घ) जलाशयों एवं तालाबों का स्वामित्व मूल रूप से जल संसाधन (लघु सिंचाई सहित) विभाग के पास रहेगा तथा मत्स्य निदेशालय को मात्स्यिकी प्रबंधन, बन्दोबस्ती एवं इसके लिए अस्थायी संरचनाओं यथा हैचरी, शेड, रियरिंग तालाब इत्यादि के निर्माण मात्र का ही अधिकार प्राप्त होगा।

5. यह संकल्प दिनांक 17.10.2017 को राज्य मंत्रिपरिषद की संपन्न बैठक में मद संख्या-3 के द्वारा दी गई स्वीकृति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभागों को भेजी जाए तथा झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

9/11/17

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1575 /मत्स्य/राँची, दिनांक 09-11-2017/

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,/राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग /योजना-सह-वित्त (सांस्थिक वित्त विभाग सहित) विभाग /वाणिज्य कर विभाग/उर्जा विभाग/जल संसाधन विभाग/विधि (न्याय) विभाग/श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में अपने विभाग से आवश्यकता अनुसार संबंधित अधिसूचना निर्गत करने की कृपा की जाए।

9/11/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1575 /मत्स्य/राँची, दिनांक 2017 /

प्रतिलिपिः अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

9/11/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1575 /मत्स्य/राँची, दिनांक 09-11-2017/

प्रतिलिपिः संयोजक, एस0एल0बी0सी0, बैंक ऑफ इंडिया, राँची/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय नाबार्ड कार्यालय, करमटोली राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9/11/17

सरकार के सचिव

(6)

ज्ञापांक–म0नि0–XIV–वि0 / 226 / 2016–17 / 1606 / मत्स्य / राँची, दिनांक, 13-11-17

प्रतिलिपि : निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची तथा संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता, जल प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/17

निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–म0नि0–XIV–वि0 / 226 / 2016–17 / 1606 / मत्स्य / राँची, दिनांक, 13-11-17

प्रतिलिपि : संयुक्त मत्स्य निदेशक, मत्स्य निदेशालय, उप मत्स्य निदेशक (सभी), प्रबन्ध निदेशक (झास्कोफिश), जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) / जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक (अनु0) तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/17

निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

सहकारिता विभाग

पत्रांक– संचिका सं0–9/64–2011 ....1410..... /राँची, दिनांक– 29.6.11

प्रेशक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

निदेशक, मत्स्य, झारखण्ड, राँची।
सभी संयुक्त निबन्धक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड।
सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी, झारखण्ड।
सभी सहायक निबन्धक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड।

विशयः– झारखण्ड सहकारिता समितियाँ अधिनियम, 1935 एवं झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबंधित मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के साथ जलकरों की बन्दोबस्ती के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 (एतद् पश्चात् अधिनियम, 1935 से संबोधित) एवं स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 (एतद् पश्चात् अधिनियम, 1996 से संबोधित) के अन्तर्गत निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ जलकरों की बन्दोबस्ती के संबंध में सहकारिता विभाग के पत्रांक 1378 दिनांक 25 अप्रैल, 2000 के द्वारा मार्गनिर्देश निर्गत किया गया था, जिसकी कंडिका– 5 में निम्न वर्णित निदेश दिया गया था –

" स्थानीय स्तर पर जलकरों की बन्दोबस्ती में अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत निबंधित समिति को प्राथमिकता दी जाय। बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत निबंधित समितियाँ एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबंधित समितियों के बीच उनकी सदस्यता की संख्या के अनुपात में जलकरों की बन्दोबस्ती की जाय। परन्तु इसमें भी अधिनियम, 1935 के तहत् निबंधित समिति को प्राथमिकता दी जाय, यदि अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत पूर्व से निबंधित समिति का सम्परिवर्तन अधिनियम, 1996 के स्वावलम्बी समिति के रूप में हुआ हो, तो उसे बन्दोबस्ती में अन्य स्वावलम्बी समिति की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाय।"

3. डब्लू0पी0(सी0) सं0 1738/10 में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के द्वारा यह न्याय निदेश दिया गया है कि झारखण्ड सहकारिता समितियां अधिनियम, 1935 एवं झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियां अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबंधित मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को पारस्परिक प्राथमिकता दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके आलोक में अधिनियम 1935 के अन्तर्गत निबंधित समिति को कोई प्राथमिकता दिया जाना विधि सम्मत नही है।

4. उल्लेखनीय है कि अधिनियम, 1935 एवं अधिनियम, 1996 में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जिसके अन्तर्गत इन अधिनियमों के अन्तर्गत निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति में से किसी एक को दूसरे पर प्राथमिकता (तरजीह) दी जाय।

5. अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्याय निदेश के आलोक में विभागीय पत्र संख्या 1378 दिनांक 25.04.2000 की कंडिका– 5 को इस हद तक संशोधित करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को जलकर बन्दोबस्ती करते समय दोनों को समतुल्य समझा जाएगा।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में वैसे सभी जलकर, जिनकी बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2011–12 से की जानी है, के संबंध में निम्न वर्णित कंडिका 7 के आलोक में विगत वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर का स्वच्छता प्रमाण पत्र सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि ससमय बन्दोबस्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

7

7. मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ जलकर बन्दोबस्ती हेतु सहायक निबंधक सहकारी समितियों/जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा स्वच्छता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के समय निम्न वर्णित बिन्दुओं के आलोक में तत्संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जायेंगे :

(i) जलकर बन्दोबस्ती का आवेदन देने वाली मत्स्यजीवी सहयोग समिति अधिनियम में विहित प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत् कार्यरत हो।

(ii) समिति के पास पूर्व का बकाया नहीं हो।

(iii) समिति के द्वारा सामान्य लेखा प्रणाली (Common Accounting System) के अन्तर्गत लेखा संधारण किया जा रहा है।

(iv) समिति का पूर्व वर्ष तक वार्षिक लेखा अंकेक्षित हो।

8. यदि कोई जलकर एक से अधिक मत्स्यजीवी सहयोग समिति के क्षेत्राधिकार में अवस्थित हो तथा सभी ऐसी समितियाँ बन्दोबस्ती की अहर्त्ता पूरी करती हो, तो वैसी स्थिति में, इन समितियों के बीच सीमित डाक कराकर उच्चतम बोली लगाने वाली समिति के साथ जलकर की बन्दोबस्ती की जाय।

कालकम में किसी समिति के प्रमादी (defaulter) घोषित किए जाने की स्थिति में ऐसी समिति के साथ की गई बन्दोबस्ती को रदद करते हुए नये सिरे से पुनः बन्दोबस्ती की जा सकेगी।

9. मत्स्य उत्पादन हित में यह आवश्यक है कि समिति के साथ सामान्यतः तीन (3) वर्षों के लिए जलकर की बन्दोबस्ती की जाय।

विश्वासभाजन

29.06.11

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– संचिका सं0–9/64–2011 1410 /राँची, दिनांक– 29.6.11

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड, सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

29.06.11

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

पत्र सं० म०।बन्दो० 08।87—-115

बिहार सरकार,
पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग

प्रेषक

श्री के० अरुमुगम,
सरकार के सचिव ।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी समाहर्त्ता।उपायुक्त।अपर समाहर्त्ता,

क्षेत्रीय मत्स्य निदेशक, रांची,

उप-मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र (सभी),

सहायक मत्स्य निदेशक, जलाशय, भागलपुर, रांची

सभी जिला मत्स्य पदा० मह-मख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी,

मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, जमशेदपुर।तेनुघाट,

पटना, दिनांक 18 जनवरी 1992

विषय—-मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से 4 हेक्टर तक के सरकारी जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोवस्ती से संबंधित आदेश ।

महाशय,

उपरोक्त विषय पर जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोवस्ती से संबंधित निर्गत आदेश सख्या 41।भू०सु०, दिनांक 18 जनवरी 1984 आदेश सख्या 262, दिनांक 5।11 फरवरी 1985 एवं इन आदेशों के अनुपालन हेतु निर्गत मार्गदर्शन पत्र संख्या 350, दिनांक 14 फरवरी 1984 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निदेशानुसार मुझे कहना है कि 4 हेक्टेयर तक के सरकारी जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोवस्ती किये जाने के पीछे सरकार की मंशा थी कि परम्परागत मछुआरों को स्वतः रोजगार उपलब्ध हो, व्यवसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त कर जलकरों का विकास कराया जा सके और उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के साथ ही सरकारी राजस्व में भी वृद्धि हो। अभिकरणों द्वारा जलकरों की की गई दीर्घकालीन बन्दोवस्ती की समीक्षा से स्पष्ट हुआ है कि अक्सर परम्परागत मछुआरों के साथ जलकरों की बन्दोवस्ती नहीं कर संपन्न लोगों के साथ और कई मामले में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों के साथ कम राजस्व पर ही बन्दोवस्ती कर दी गई है। बावजूद इसके जलकरों के विकास एवं उत्पादकता वृद्धि पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जिससे दीर्घकालीन बन्दोवस्ती का मूल उद्देश्य ही गौण हो जाता है। इन विन्दुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचारोपरान्त सरकार द्वारा इस विषय से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी परिपत्रों को संशोधित करते हुए 4 हेक्टर तक के सरकारी जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोवस्ती, प्रक्रिया, जलकरों के विकास एव प्रबंधन के कार्यों के लिये प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही निर्धारित करने हेतु निम्नांकित अनुदेश दिया गया है :—-

1· 4 हेक्टर तक के केवल वैसे सरकारी जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोवस्ती 10 वर्षों के लिये अभिकरणों के माध्यम से की जायगी जिनमें बैंकों से ऋण लेकर विकास कार्य किये जाने की आवश्यकता हो। दीर्घकालीन बन्दोवस्ती किये जाने वाले जलकरों के चयन के लिये मत्स्य प्रसार पदाधिकारी।मत्स्य निरीक्षक।मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षकों के कार्य क्षेत्र अभिकरणों द्वारा निर्धारित किये जायेंगे और उनके कार्यक्षेत्र में पड़नेवाले जलकरों के संबंध में विस्तृत सूचना और प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ही जलकरों की दीघकालीन बन्दोवस्ती किये जाने का निर्णय प्रबन्ध कारिणी समिति के माध्यम से लिया जायगा। अन्य जलकर, जिनमें विकास कार्य किये जाने की आवश्यकता नहीं है, उनकी अल्पकालीन बन्दोवस्ती परिपत्र सं० 114, दिनांक 18 जनवरी 1992 के अनुरुप की जायगी।

2. जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती उसी पंचायत के परम्परागत मछुआरों के साथ की जायगी जिस पंचायत में जलकर अवस्थित है। अगर तालाब वाले पंचायत में परम्परागत मछुआ उपलब्ध नहीं है तो उस तालाब की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती निकटवर्ती पंचायत के मछुआ का चयन कर किया जायेगा। सामान्यतः 1.5 एकड़ तक के जलकर परम्परागत मछुआ परिवार के एक सदस्य के साथ 3 एकड़ तक के तालाब 2 मछुआ परिवार के दो अलग-अलग सदस्य के साथ, और 3 से 10 एकड़ तक के तालाब अलग-अलग परिवार के एक-एक सदस्य को 2 एकड़ प्रतिव्यक्ति की दर से सामूहिक रूप से बन्दोबस्ती की जायेगी। सामूहिक रूप से बन्दोबस्त किये गये तालाबों के विकास हेतु ऋण उपलब्ध किये जाने के पूर्व पट्टेदार अपना ग्रुप लीडर का भी चुनाव करेंगे।

3. दीर्घकालीन बन्दोबस्त किये जाने वाले तालाबों के हिताधिकारियों का चयन प्रथम चरण में आदेश सं० 113, दिनांक 18 जनवरी 1992 में जलकरों की सुरक्षित जमा निर्धारण हेतु क्षेत्रीय उप-मत्स्य निदेशक के स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा। समिति द्वारा चयन किये गये हिताधिकारियों की सूची का अनुमोदन मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबंध कार्यणी समिति द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4. सभी जलकरों की बन्दोबस्ती अवधि पहली अप्रील से प्रारम्भ होगी और जमा का निर्धारण आदेश सं० 113, दिनांक 18 जनवरी 1992 में दिये गये निर्देश के अनुरूप की जायेगी। जमा की वसूली प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में एकमुस्त में की जायगी।

5. चयन किये गये हिताधिकारियों की सूची का अनुमोदन प्रबंधकारणी समिति से प्राप्त करने के बाद तालाब का अभिलेख तैयार कर जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती के प्रस्ताव में उप विकास आयुक्त के माध्यम से समाहर्त्ता-सह अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर बन्दोबस्तीका एकरारनामा, एकरारनामा का निबंधन तथा ऋण प्राप्त करने हेतु चार्ज क्रियेशन की कारवाई की जायगी।

6. एकरारनामे के निबंधन एवं चार्ज क्रियेशन की कारवाई पूरी होते ही जलकरों के विकास हेतु योजना एवं प्राक्कलन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के मार्गदर्शन में कनीय अभियंता द्वारा तैयार किया जायगा जिससे प्रोजेक्ट प्रतिवेदन के साथ मत्स्य प्रसार पदाधिकारी द्वारा ऋण स्वीकृति का वस्तृत प्रस्ताव वांछित अभिलेखों के साथ संबंधित बैंकों को भेजने की कारवाई की जायगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जलकरों की बन्दोबस्ती के 6 माह के अन्दर ऋण की स्वीकृति हो जाय, और जलकरों के विकास के कार्य हर हालत में बन्दोबस्ती के एक वर्ष के अन्दर पूरी हो जाय। अगर विकास का कार्य एक वर्ष के अन्दर पूरा नहीं होता है तो संबधित व्यक्तयों को 15 दिनों का समय देते हुए show cause देकर और यदि show cause प्राप्त होता उसे वचार करने के बाद की गई दीर्घ कालीन बन्दोबस्ती समाहर्त्ता-सह-अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर समाप्त कर दी जायगी। इसकी सूचना सरकार को भी दी जायगी।

7. बैंकों द्वारा विमुक्त किये गये ऋण राशि का उपयोग जलकरों के विकास एवं उत्पादकता बढाने हेतु योजना के अनुरुप विकास कार्य किये जाने तथा बैंकों से लिये गये ऋण अदायगी की जिम्मेदारी जिला मत्स्य पदाधिकारी के साथ ही संबंधित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी।मत्स्य निरीक्षक एवं मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षकों की भी होगी। इसके लिये मत्स्य प्रसार पदाधिकारी।मत्स्य निरीक्षक।मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक को पट्टेदार और बैंकों से बराबर सम्पर्क स्थापित कर स्थिति से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को अवगत कराना होगा।

8. जलकरों के विकास एवं इनपुट राशि की ऋण की स्वीकृति और ऋण विमक्ति के साथ ही अनुपातिक अनुदान की राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समय पर बैंकों को उपलब्ध कराया जाय।

9. उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र अपने क्षेत्र के सभी अभिकरणों में दीर्घकालीन बन्दोबस्त किये गये जलकरों की विस्तृत समीक्षा तालाबवार प्रत्येक त्रैमास पर करेंगे। इस समीक्षा में विशेष रूप से इस बात पर बल दिया जायगा कि बन्दोबस्त जलकरों की राजस्व वसूली, बैंकों से ऋण के किस्तों का भुगतान, बैंकों से ऋण लेकर विकास कार्य योजना एवं प्राक्कलन के अनुरुप किया जा रहा है या नहीं। त्रैमासिक समीक्षा की एक प्रति विभाग को भी आवश्यक रूप से भेजी जायगी। यदि कोई पट्टेदार राजस्व जमा करने या ऋण की अदायगी का भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो कारण बताओ नोटिस देकर समाहर्त्ता सह-अध्यक्ष के आदेश से बन्दोबस्ती रद्द कर दी जायगी और बकाये राशि की वसूली हेतु नियमानुसार सर्टिफिकेट केस किया जायगा।

10. जलकरों की बन्दोबस्ती के संबंध में उठे विवादों की समीक्षा सर्वप्रथम उप-मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र के स्तर पर जमा निधारण हेतु आदेश सं० 113 दिनां 18 जनवरी 1992 द्वारा गठित समिति द्वारा की जायगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इस समिति की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव अंतिम आदेश हेतु समाहर्त्ता-सह-अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे और आदेशानुसार इसका निष्पादन करेंगे। समाहर्त्ता-सह-अध्यक्ष के इस आदेश के विरुद्ध एक माह के अन्दर पुर्नविचार हेतु विभाग को अपील किया जा सकता है जिसका निष्पादन 3 माह के अन्दर कर दिया जायगा।

11. जलकरों के शिकारमाही की तिथि का निर्धारण जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मत्स्य पालक।तालाब के पट्टेदार से मिलकर करेंगे तथा इसकी सूचना संबंधित बैंकों को भी देंगे जिससे बैंक ऋण के किस्तों की अदायगी हो सके।

12. विकसित जलकरों से निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्ति किये जाने के क्रम में सभी प्रकार के इनपुट उपलब्ध किये जाने की जिम्मेवारी भी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।मत्स्य प्रसार पदाधिकारी।मत्स्य निरीक्षक एवं मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक की होगी। क्षेत्रीय कर्मचारी अपने क्षेत्र के तालाब की समीक्षा कर प्रत्येक 3 माह पर जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को प्रतिवेदन अपनी अनुशंसा के साथ दिया करेंगे।

13. किसी भी स्थिति में एक बार दीर्घकालीन बन्दोवस्त किये गये जलकरों की अवधि समाप्ति के बाद पुनः अवधि विस्तार नहीं की जायेगी। इन जलकरों की बन्दोवस्ती की कार्रवाई नये सिरे से पुनः उपर वर्णित कंडिकाओं के आलोक में की जायगी।

14. उपरोक्त अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सभी जिलों में गठित मत्स्य पालक विकास अभिकरण या भविष्य में गठित होने वाले अभिकरणों द्वारा किया जायगा।

विश्वसभाजन,

के० अरुमुगम,
सचिव,
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग।

ज्ञापांक 115, दिनांक 18 जनवरी 1992

प्रतिलिपि सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।सचिव, सहकारिता विभाग।सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ।

के० अरुमुगम,
सचिव,
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग।

ज्ञापांक 115, दिनांक 18 जनवरी 1992

प्रतिलिपि सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य मत्स्य बीज विकास निगम, मीठापुर, पटना को सूचनार्थ।

के० अरुमुगम,
सचिव,
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग।

संख्या-म०।बन्दो०-8187–114

बिहार सरकार,

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

प्रेषक

श्री के० अरूमुगम,
सरकार के सचिव।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता।उपायुक्त।अपर समाहर्त्ता,
क्षेत्रीय मत्स्य निदेशक, रांची
सभी उप-मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र,
सभी सहायक मत्स्य निदेशक, जलाशय,
सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदा०,
सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी,
मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, जमशेदपुर।तेनुघाट।

पटना, दिनांक 18 जनवरी, 1492

विषय:—जलकरों की अल्पकालीन बन्दोवस्ती से संबंधित आदेश।

महाशय,

उपरोक्त विषय से संबंधित दिनांक 1 अप्रील 87 के प्रभाव से मत्स्य विभाग को हस्तांतरित सभी जलकरों की वन्दोंवस्ती हेतु निर्गत वैकल्पिक आदेश संख्या-म०।वन्दा० 08187-707, दिनांक 11 मई 87 एवं पत्र संख्या 779, दिनांक 19 मई 1987 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निदेशानुसार मुझे कहना है कि यह आदेश अस्थायी व्यवस्था के तहत मत्स्य विभाग के सुदृढ़िकरण की प्रत्याशा में निर्गत किया गया था। इस आदेश के अनुसार अंचल स्तर से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियें को अपने प्रदत शक्तियों के तहत मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक। मत्स्य प्रसार पदाधिकारी।जिला मत्स्य पदाधिकारी की तकनीकी राय प्राप्त कर जलकरों की वन्दोंवस्ती मत्स्य विभाग की ओर से उसी प्रकार करने की व्यवस्था की गई थी जिस तरह से राजस्व विभाग की ओर से करते थे। इन निर्देशों की पालन की समीक्षा सरकार द्वारा करते हुए भली-भांति विचारोपरान्त उक्त वैकल्पिक कार्यकारी आदेश को अवक्रमित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग द्वारा निर्गत 4 हेक्टर तक के सरकारी जलकरों की वन्दोंवस्ती से संबंधित आदेश संख्या 115, दिनांक 18 जनवरी 1992 के बाद जो भी जलकर बच जायेंगे उन सभी जलकरों की वन्दोंवस्ती, राजस्व वसुली तथा जलकरों के विकास एवं प्रबन्धन आदि के कार्य अब मत्स्य विभाग के पदाधिकारियों द्वारा ही किये जायें। इस परिपेक्ष्य में जलकरों की अल्पकालीन बन्दोंवस्ती के पूर्व जमा का निर्धारण पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-113, दिनांक 18 मई 1992 के अनुरूप करने के बाद जलकरों की बन्दोंवस्ती की प्रक्रिया निम्नांकित रूप में की जायगी:

(क) वन्दोंवस्ती की प्रक्रिया:—

(1) 4 हेक्टर से बड़े सभी जलकरों।जलाशयों तथा 4 हेक्टर से छोटे वैसे जलकर, जिनकी दीर्घकालीन वन्दोंवस्ती नहीं की गई है, की वन्दोंवस्ती प्रखंड स्तर पर गठित मत्स्य जीवी सहयोग समितियों के साथ निर्धारित वार्षिक सुरक्षित जमा पर की जायगी, बशर्ते समिति निर्धारित जमा पर बन्दोंवस्ती लेने के लिए तैयार हो और समिति के पास पूर्व का सरकारी बकाया राशि नहीं हो। समिति के पास पूर्व राजस्व बकाया की जांच उस कर्मचारी।पदाधिकारी द्वारा किया जायगा जहां से जलकरों की बन्दोंवस्ती का प्रस्ताव प्रारम्भ किया जाता है। जांच पदाधिकारी समिति के अद्यतन लेखे का अंकेक्षण, समिति के आम सभा की बैठक, कार्यकारिणी समिति का चुनाव समय पर होने की सम्पुष्टि या समिति के यहां सरकारी राशि का बकाया है या नहीं की जांच करेंगे तथा बन्दोवस्ती प्रस्ताव में स्पष्ट रूप में अंकित करेंगे। अगर समिति के पास बकाया है, और राजस्व छूट के लिए आवेदन-पत्र विधिवत शुल्क के साथ दाखिल कर दिया गया है, और प्रस्ताव रिमिशन कमिटी के विचारार्थ लंबित है, तो उस स्थिति में समिति को भी जलकरों को लेने का मौका दिया जायेगा।

(2) अगर समिति निर्धारित जमा पर बन्दोवस्ती लेने की अनिच्छा व्यक्त करती है तो उसी हालत में जलकर की बन्दोवस्ती विस्तृत सूचना प्रकाशन के बाद खुली डाक से की जायगी। वैसे जलकर जिसका वार्षिक निर्धारित जमा 10,000 रुपये से उपर है उसकी डाक की सूचना राज्य के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशन के बाद किया जायगा। डाक की सूचना प्रकाशन के साथ ही निबंधित डाक से पंचायत के मुखिया।मत्स्यजीवी सहयोग समिति।राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ को 15 दिन पहले भेजी जायगी। इन जलकरों का डाक निम्नांकित पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया जायगा :—

1. उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र

2. जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।सहायक मत्स्य निदेशक, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी।

3. संबंधित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी।मत्स्य निरीक्षक।पर्यवेक्षक जिनके कार्य क्षेत्र में पड़ते है।

4. जलकरों के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले मत्स्यजीवी सहयोग समिति की मंत्री।

डाक के समय उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

10,000 रुपये से कम वार्षिक जमा निर्धारण वाले जलकरों की वन्दोवस्ती हेतु सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में नहीं कर वृहत सूचना निबंधित डाक से पंचायत के मुखिया।मत्स्यजीवी सहयोग समिति। राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ को 15 दिन पूर्व देने के बाद जिला मत्स्य पदाधिकारी और मत्स्य प्रसार पदाधिकारी। मत्स्य निरीक्षक।पर्यवेक्षक, जिनके कार्यक्षेत्र में जलकर पड़ता है उनकी उपस्थिति में किया जायगा।

3. जलकरों की वन्दोवस्ती की स्वीकृति की प्रत्याशा में औपबंधित परवाना निर्गत किया जा सकता है, बशर्ते बन्दोवस्ती का प्रस्ताव निर्धारित जमा या उससे अधिक राशि पर हो। यदि बन्दोवस्ती का प्रस्ताव निर्धारित जमा से कम हो, तो उस जलकर का दोबारा डाक किया जायगा। अगर प्रयासों के वावजूद वन्दोवस्ती की राशि सुरक्षित जमा से कम होती है, तो इस मामले को सुरक्षित जमा निर्धारण समिति के समय पुनर्विचार हेतु रखा जायगा एवं समिति की अनुशंसा के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जायगी।

4. वन्दोवस्ती की प्रक्रिया, पूर्व की वन्दोवस्ती अवधि समाप्त होने के तीन माह पूर्व प्रारम्भ की जायगी जिससे बन्दोवस्ती की स्वीकृति समय पर दी जा सके और परवाना भी समय पर निर्गत किया जा सकें।

5. राजस्व की वसूली और वसूल की गयी राशि समय पर कोषागार में जमा किए जाने की समीक्षा परिक्षेत्र स्तर पर उप मत्स्य निदेशक द्वारा की जायगी और प्रतिवेदन निदेशालय को दी जायगी।

6. यदि पट्टेदार द्वारा पट्टे की राशि समय पर जमा करने में शिथिलता वरती जा रही हो तो कारण बताओ नोटिश देकर बन्दोवस्ती रद्द कर दी जायगी और इसकी सूचना विभाग को दी जायगी।

(ख) वन्दोवस्ती अवधि एव राजस्व वसूली की प्रक्रिया।

सभी प्रकार के जलकरों की वन्दोवस्ती 1 अप्रील से ही की जायगी। जलकरों की वन्दोवस्ती के संबंध में समिति से एक वर्ष के राजस्व की एक तिहाई राशि परवाना निर्गत करने के पूर्व दूसरी तिहाई राशि 31 जुलाई तक, तथा शेष तिहाई 31 जनवरी तक वसूल की जायगी। अगर जलकर की बन्दोवस्ती खुली डाक से व्यक्ति विशेष के साथ की जायगी है तो एक वर्ष की वन्दोवस्ती राशि का आधा भाग परवाना निर्गत करने के पूर्व एवं शेष आधी राशि दो बराबर किस्तों में तीन माह के अन्तराल पर जमा करना होगा। अगर वार्षिक जमा राशि एक हजार रुपये तक होता है, तो पूरी राशि एक मस्त में जमा करवा लिया जाय।

(ग) जलकरों की वन्दोवस्ती हेतु शक्तियों का विकेन्द्रीकरण।

परिपत्र संख्या 1744, दिनांक 4 जून 1982 की कंडिका-ग को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए जलकरों की वन्दोवस्ती हेतु निम्नांकित रूप में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाता है :—

1. जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।जिला मत्स्य पदाधिकारी।सहायक मत्स्य निदेशक, जलाशय।मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, जमशेदपुर एवं तेनुघाट।	2,000 रुपये तक वार्षिक जमा निर्धारण वाले जलकरों की वन्दोवस्ती उपर वर्णित निदेशों के अनुरूप करेंगें।

2. उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र

2,000 रुपये से ऊपर एवं 5,000 रुपये तक वार्षिक निर्धारित जमा वाले जलकरों की बन्दोबस्ती करेंगे।

3. जिला समाहर्त्ता

5,000 रु० से 20,000 रुपये तक वार्षिक निर्धारित जमा वाले जलकरों की बन्दोबस्ती जिला मत्स्य पदाधिकारी।उप मत्स्य निदेशक से प्रस्ताव प्राप्त पर करेंगे। 20,000 रुपये से ऊपर वार्षिक जमा वाले जलकरों की बन्दोबस्ती का प्रस्ताव जिला समाहर्त्ता अपनी अनुशंसा के साथ विभाग को भेजेंगे।

4. निदेशक मत्स्य

20,000 रुपये से ऊपर एवं 50,000 रुपये तक वार्षिक निर्धारित जमा वाले जलकरों की बन्दोबस्ती जिला समाहर्त्ता के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निदेशालय स्तर से की जायगी, तथा 50,000 रुपये से अधिक वार्षिक निर्धारित जमा वाले जलकरों की बन्दोबस्ती सरकार के स्तर से की जायगी।

उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,
के० अनुपम,
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 114

मत्स्य।पटना, दिनांक 18 जनवरी, 1992

प्रतिलिपि—सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।सचिव, सहकारिता विभाग।सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य मत्स्य बीज विकास निगम लि०, मीठापुर, पटना, अध्यक्ष, बिहार प्रान्तीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि०, मुसल्लहपुर हाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

के० अनुपम,
सरकार के सचिव।

सं० 113 मत्स्य

बिहार सरकार,
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

प्रेषक,

श्री के० अरुमुगम
सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी समाहर्ता।उपायुक्ता।अपर समाहर्ता

क्षेत्रीय मत्स्य निदेशक, रांची

सभी उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र

सहायक मत्स्य निदेशक (जिला०) सभी

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी

मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, तेनुघाट।जमशेदपुर

पटना, दिनांक 18 जनवरी 1992

विषय—सरकारी जलकरों की बंदोवस्ती के पूर्व वार्षिक सुरक्षित जमा निर्धारण किये जाने से संबंधित आदेश।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं० 41।भ०सु० दिनांक 18 जनवरी 1984 की कंडिका-9, पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग के पत्र सं० 707 दिनांक 11 मई 1987 की कंडिका 21 एवं पशुपालन एवंमत्स्य विभाग के पत्र सं० 1744 दिनांक 4 जून 1982 की कंडिका (क) एवं (ख) के तहत मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से दीर्घकालीन बंदोवस्ती तथा सामान्य रुप में विभागीय जलकरों की अल्पकालीन बंदोवस्ती हेतु वार्षिक सुरक्षित जमा निर्धारण के लिए अनुदेश दिये गये थे। सरकार द्वारा गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए इन आदेशों को तात्कालिक प्रभाव से संशोधित करते हुए सरकारी तालाबों। जलाशयों की वार्षिक सुरक्षित जमा निधार की प्रक्रिया हेतु निम्नांकित निदेश दिये गये हैं:—

(1) जलकरों का वार्षिक सुरक्षित जमा निर्धारण उनकी वार्षिक उत्पादकता के मूल्य के आधार पर कि जायगा। 4 हेक्टर तक के जलकर का वार्षिक जमा निर्धारण, वार्षिक उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत, तथा 4 हेक्टर से बड़े और खुले जलकर का तथा जलाशयों का वार्षिक जमा निर्धारण कुल वार्षिक उत्पादन मूल्य के 5 प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक तीन वर्षों पर किया जायगा। उदाहरण स्वरूप एक एकड़ के तालाब का वार्षिक उत्पादन अगर 800 किलोग्राम निर्धारित किया जाता है, तो औसतन 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल उत्पादित मछली का मूल्य 16,000 रुपये होगा। इसके आधार पर इसका वार्षिक जमा निर्धारण 10 प्रतिशत अर्थात 1,600 रुपये होगा। इस प्रकार प्रत्येक तीन वर्ष के लिए वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जायगा, और उसी के अनुरूप प्रत्येक तीन वर्ष पर जलकर के वार्षिक जमा को संशोधित किया जायगा। निर्धारित वार्षिक उत्पादन से लक्ष्य उपलब्धि की जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी। जलकरों के उत्पादन लक्ष्य निर्धारित के लिए आवश्यक होगा कि सभी जलकरों का भौतिक सर्वेक्षण कराकर प्रत्येक जलकर की पूर्ण स्थिति जिला स्तर पर एक स्थायी पंजी में संधारित किया जाय और उत्पादकता के आधार पर इसका वर्गीकरण भी किया जाय। 50,000 रुपये वार्षिक जमा वाले जलकरों का जमा निर्धारण क्षेत्रीय स्तर पर उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षमें गठित समिति द्वारा 50,000 रुपये से एक लाख रुपये तक वार्षिक जमा वाले जलकरों का जमा निर्धारित मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा, और एक लाख से ऊपर वाले जलकरों का जमा निर्धारण सरकार के स्तर पर किया जायगा।

2. क्षेत्रीय स्तर पर उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में जमा निर्धारण समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है—

(1) उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र—अध्यक्ष

(2) सरकार द्वारा मनोनित मत्स्य जीवी सहयोग समिति के प्रतिनिधि—सदस्य

(3) सरकार द्वारा मनोनित मत्स्य पालक के प्रतिनिधि—सदस्य

(4) जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।जिला मत्स्य पदाधिकारी।सहायक मत्स्य निदेशक—सदस्य सचिव। निदेशक (जलाशय)।

उपरोक्त समिति जलकरों की भौतिक स्थिति, मिट्टी एवं जल की उत्पादकता से संबंधित आंकड़े, पिछले वर्षों में प्राप्त उत्पादन तथा आय और पूर्व में किये गये विकास कार्यों तथा इसपर हुए व्यय को देखते हुए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित कर कुल उत्पादन मूल्य के आधार पर ऊपर कंडिका में वर्णित निदेश के अनुरूप अधिकतम 50,000 रुपये वार्षिक जमा वाले जलकरों का जमा निर्धारित करेगी। 50 हजार रुपये से ऊपर और एक लाख रुपये तक वार्षिक जमा वाले जलकरों के जमा निर्धारण हेतु मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :—

(1) निदेशक, मत्स्य	अध्यक्ष
(2) संयुक्त मत्स्य निदेशक, मुख्यालय	सदस्य
(3) संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां	सदस्य
(4) राज्य स्तरीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ के प्रतिनिधि।	सदस्य
(5) संबंधित प्रमंडल के उप मत्स्य निदेशक	सदस्य
(6) उप मत्स्य निदेशक, गहन	सदस्य सचिव

3. परिक्षेत्र स्तर पर गठित समिति की बैठक हेतु संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी। सहायक मत्स्य निदेशक जलाशय अपने अधीनस्थ जलकरों के जमा निर्धारण के संबंध में जलकर की भौतिक स्थिति, पिछले वर्षों में प्राप्त उत्पादन एवं आय, जल एवं मिट्टी की उत्पादकता से संबंधित आंकड़े तथा विगत वर्षों में किये गये विकास कार्य एवं इनपर किये गये व्यय से संबंधित सूचनाओं के साथ प्रस्ताव समिति के विचारार्थ रखेंगे। निदेशक के स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा हेतु भी प्रस्ताव परिक्षेत्र स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार के बाद समिति की अनुशंसा के साथ भेजी जायगी। एक लाख से उपर वार्षिक जमा वाले जलकरों का जमा निर्धारण निदेशालय स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा पर सरकार की स्वीकृति के उपरांत किया जायगा।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,
के० अरुमुगम,
सचिव,
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग।

ज्ञापांक 113

पटना, दिनांक 18 जनवरी 1992

प्रतिलिपि—सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।सचिव, सहकारीता विभाग।सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

के० अरुमुगम
सचिव,
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग।

ज्ञापांक 113

पटना, दिनांक 18 जनवरी 1992

प्रतिलिपि—सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य मत्स्य बीज विकास निगम लि०, मीठापुर पटना।अध्यक्ष, बिहार प्रान्तीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि०, मसल्लहपुर हाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

के० अरुमुगम,
सचिव,
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग।

E: mail
दीपक ASO
27/1/22

पत्रांकः–04/समिति (मत्स्यजीवी)–38/2021 उद्धरण सह0 55

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी. भा0प्र0से0,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

27/1/22

निदेशक, मत्स्य, झारखण्ड, राँची।
सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड।
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड।
सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी, झारखण्ड।
सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड।

राँची, दिनांक- 25/01/2

विषयः– झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम–1935 यथासंशोधित 2011 एवं 2015 तथा झारखण्ड स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम–1996 यथासंशोधित 2015 के अन्तर्गत मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के निबंधन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय में कहना है कि झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम–1935 यथासंशोधित 2011 एवं 2015 (एतद् पश्चात अधिनियम 1935 से सम्बोधित) एवं झारखण्ड स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम–1996 यथासंशोधित 2015 (एतद् पश्चात अधिनियम 1996 से सम्बोधित) के अन्तर्गत निबंधित होने वाले मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि0 तथा जलकरों के बन्दोबस्ती के संबंध में सहकारिता विभाग के द्वारा पत्रांक–1378 दिनांक–25.04.2000 के अन्तर्गत मार्गदर्शन निर्गत किया गया था।

विचारोपरान्त स्पष्ट हुआ कि उक्त पत्र में निर्गत निदेश वर्तमान में समयानुकूल नहीं रह गया है, फलस्वरूप राज्य में मत्स्य प्रक्षेत्र में पंचायत स्तरीय, प्रखण्ड स्तरीय, जलाशय स्तरीय मत्स्यजीवी समितियों के निबंधन में बाधा उत्पन्न हो रही है, मत्स्य प्रक्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है, मत्स्य कृषक के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अभाव में सरकारी राजस्व में भी क्षति हो रही है।

02. झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम–1935 यथासंशोधित 2011 एवं 2015 तथा झारखण्ड स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम–1996 यथासंशोधित 2015 के अन्तर्गत निबंधन के प्रावधान के आलोक में एक ही क्षेत्र में एक प्रकार की एक से अधिक समिति का गठन करने में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है।

साथ ही संविधान के 97वें संशोधन की कंडिका–2 में संविधान के अनुच्छेद–19 (स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत सहकारी समिति बनाने का अधिकार को सहकारी समिति का गठन करना मौलिक अधिकार के रूप में समाहित कर लिया गया है। In part III of the Constitution, in article 19, in clause (I), in sub-clause (c) after the words, "or unions", the words "or co-operative societies" shall be inserted.

... विभागीय पत्रांक–1410 दिनांक–29.06.2011 में भी उललेख है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा यह न्याय निदेश दिया गया है कि झारखण्ड सहकारिता अधिनियम 1935 एवं झारखण्ड स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनिमय 1996 में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत इन अधिनियमों के अन्तर्गत निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति में से किसी एक को दूसरे पर प्राथमिकता (तरजीह) दी जाय।

04. विगत वर्षो में मत्स्य के क्षेत्र में इस पेशा से जुड़े प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या सीमित होने, उत्पादन में कमी तथा मत्स्य उत्पादन एवं बिक्री सीमित संसाधनों के फलस्वरुप प्रभावित रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य भर में पंचायत स्तर, प्रखण्ड स्तर, जलाशय स्तर पर अधिकाधिक मत्स्यजीवी समितियों एवं नाव यातायात समितियों का व्यापक रुप से निबंधन किया जाना सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि जिन क्षेत्रों में जलाशय, तालाब एवं सरकारी जलकर इत्यादि हो, उन्हीं क्षेत्र के सदस्यों को अधिक से अधिक सहकारी समितियों के माध्यम से भागीदारी दी जा सके।

अतः इस पत्र निर्गत करने की तिथि से पूर्व में निर्गत सहकारिता विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–1378 दिनांक–25.04.2000 झारखण्ड राज्य में प्रवृत्त (Inforce) नहीं माना जायेगा।

विश्वासभाजन,

(अबुबक्कर सिद्दीख पी.)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–04/समिति (मत्स्यजीवी)–38/2021 उद्धरण सह0 55 /राँची, दिनांक– 25/01/2022

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।